संख्याः यू०ओ० 22 / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2006

विषय–तहसील सितारगंज के ग्राम प्रहलाद पलसिया के खसरा संख्या–749/3 मध्ये 5 एकड़ भूमि कृषि विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–160/XIII-1/2006-1(134)/2004 दिनांक 10 फरवरी, 2006 के सन्दर्भ में एवं जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पत्र संख्या–2034/एस0टी0/2006 दिनांक 27 जनवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील सितारगंज के ग्राम प्रहलाद पलसिया के खसरा संख्या–49/3 मध्ये 5 एकड़ भूमि वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–260/ वि0अनु0–3/ 2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम में कृषि विभाग, उत्तरांचल शासन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– उक्त भूमि के बदले तहसील खटीमा के ग्राम भकोलिया के खसरा संख्या–269 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0–270 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0–271 मि0 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0–289 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0–290 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0–291 मि0 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0–292 मि0 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा अर्थात 08 एकड़ भूमि तहसील खटीमा के भवनों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी।

....(2)

4— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

7— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष बची रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

2— कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2— आयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
3— जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4— एन०वाई०सी० उत्तरांचल, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रोहन लाल)
अपर सचिव।